पत्रांक-1/प्रा0आ0-0-3-06/08........2783......................./आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

G.F. / सभी संचिका

प्रेषक,

आर0 के0 सिंह,

प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

बिहार ।

पटना-15, दिनांक- 26/9/08

विषयः मुख्य बजट शीर्ष- 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के विभिन्न लघु/उपशीर्षों के अन्तर्गत आवंटित राशि का उपयोग एवं व्यय किये जाने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि मुख्य बजट शीर्ष- 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के अन्तर्गत विभिन्न लघु/ उपशीर्षों के अधीन कौन से कार्य पर होने वाला व्यय विकलनीय होंगें इस संबंध में कतिपय विभाग/ क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा पृच्छाएं की जाती रहीं हैं। आपदा राहत कोष की बैठक दिनांक 23.09.2008 की कार्यवाही संख्या (2) मे लिये गये निर्णय एवं वित्त विभाग द्वारा दियें गये परामर्श के आलोक में निम्नांकित शीर्षो के अंतर्गत किन-किन कार्यो पर व्यय **किया जाना है, इसकी सूची निम्न प्रकार है:-**

क्रमांक	शीर्ष	किन-किन कार्यों पर व्यय किया जाना है।
1	2	3
1.	2245-02-112-0002-जनसंख्या का निष्क्रमण	1. नाव/मोटरबोट/स्टीमर का भाड़ा 2. नाविकों /मोटरबोट चालक (प्राईवेट) की मजदूरी 3. पॉलीथीन का क्रय 4. सेना की नावों/ईंधन 5. सेना के आवासन/भोजन 6. निष्क्रमण कार्य मे लगे वाहन (प्राईवेट) का भाड़ा/ ईंधन पर व्यय। 7. वायुसेना के हेलीकॉप्टर का किराया 8. राहत शिविरों मे रोशनी/टेन्ट/उपस्कर की व्यवस्था पर व्यय 9. अस्थायी राहत शिविर के निर्माण पर व्यय 10. निष्क्रमण के कार्य मे लगे बचाव कर्मी के पारिश्रमिक का भुगतान 11. चलन्त चिकित्सा दलों का आवागमन 12. अस्थायी/शिविर अस्पतालों का संचालन
2.	2245-02-101-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति	1. साहाय्य खाद्यान्न की कीमत का भुगतान 2. हथालन एवं परिवहन 3. वाणिज्य कर-अतिरिक्त कर

क्रमांक	शीर्ष	किन-किन कार्यो पर व्यय किया जाना है।
1	2	3
		4. भंडारण/सुरक्षा 5. राहत शिविर मे खाद्य सामग्री सहित तेल-मसाला आदि। 6. सूखा राशन यथा- चूड़ा, सत्तू, गुड़, नमक, चीनी, मोमबत्ती, दियासलाई आदि पर व्यय।
3.	2245-02-101-0001-नि:सहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान का भुगतान	1. वृद्ध, अपाहिज एवं नि:सहाय बच्चों को अनुदान
4.	2245-02-102-0001-पेयजल की आपूर्त्ति।	1. बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ट्रको/टैंकरों से पेयजल की ढुलाई। 2. जल का शुद्धिकरण
5.	2245-02-104-0001-चारे की पूर्त्ति।	1. पशुचारे का क्रय/ हथालन/ परिवहन/ भंडारण (विभागीय मानदर के अनुरूप)
6.	2245-02-105-0001- पशुओं के लिए दवा	1. आवश्यक पशु दवाओं का क्रय 2. परिवहन/भंडारण/टीकाकरण एवं अन्य पशु जनित रोगों की रोकथाम की व्यवस्था 3. मृत पशु के शवों के disposal पर व्यय
7.	2245-02-109-0001- क्षतिग्रस्त जलापूर्त्ति एवं मलप्रवाह नालों की मरम्मति/प्रत्यस्थापन	1. क्षतिग्रस्त जलापूर्त्ति/मलप्रवाह नालों की मरम्मति/प्रत्यस्थापन 2. अस्थायी शौचालय/स्नानागार का निर्माण 3. राहत शिविरों मे स्वच्छता की व्यवस्था 4. अस्थायी चापाकल का निर्माण/मरम्मति 5. कुएँ/तालाबों की मरम्मति
8.	2245-02-282-0001- मानव दवा	1. आवश्यक मानव दवा/उपकरण का क्रय/परिवहन/भंडारण
9.	2245-02-282-0003- चलन्त स्वास्थ्य केन्द्र हेतु पी0ओ0एल0 की आपूर्त्ति।	1. चिकित्सीय कार्य में लगे वाहन का ईंधन 2. एम्बुलेंस सेवाएँ

कृपया समिति द्वारा लिये गये निर्णय एवं वित्त विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के अनुरूप उपर्युक्त मदों में आवंटित राशि का कंडिका 3 (किन-किन कार्यो पर व्यय किया जाना है) मे वर्णित कार्यो पर व्यय का संकलन सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन

(आर0 के0 सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक-2788/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 26/9/08

प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/ प्रधान सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ स्वास्थ्य विभाग/ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग/ पथ निर्माण विभाग/ सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव